न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

ज0वि0 निगरानी संख्या–107/2010–11 अन्तर्गत धारा–333 उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

श्रीमती सुशीला देवी आदि –बनाम– सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून आदि

बावत मौजा आरकेडियाग्रान्ट, परगना केन्द्रीय दून तहसील व जनपद देहरादून।

उपस्थित – **श्री पी0एस0 जंगपांगी**, आई0ए0एस0 सदस्य, न्यायिक

श्री रमेश दत्त उनियाल, अधिवक्ता, निगरानीकर्तागण।
श्री सुबोध कुमार शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) प्रतिपक्षीगण।

निर्णय

यह निगरानी अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून द्वारा वाद सूख्या–08/2003–04 (मूल वाद संख्या–2/99–2000) सरकार बनाम सुशीला देवी आदि अन्तर्गत धारा–198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, मौजा आरकेडियाग्रान्ट, परगना केन्द्रीय दून में पारित निर्णयादेश दिनांक 08–11–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, देहरादून ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून को अपनी आख्या दिनांक 14.11.2003 प्रेषित की गयी जिसमें उल्लेख किया गया कि वाद संख्या 2/99–2000 दिनांक 26.12.1999 से 14 व्यक्तियों को धारा–197 के अन्तर्गत आसामी की भूमि आवंटित की गयी थी जो खतौनी में श्रेणी–2 (असंक्रमणीय) के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं जिसे क्षेत्रीय कानूनगो/लेखपाल ने पुष्टि करते हुये उल्लेख किया है कि किसी आवंटी का स्थल पर कब्जा नहीं है, अतः उक्त 14 व्यक्तियों का आवंटन निरस्त किया जाय। तहसीलदार की आख्या के आधार पर अपर कलेक्टर, (प्रशासन) देहरादून के न्यायालय में वाद संख्या–08/2003–04 अन्तर्गत धारा–198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम सरकार बनाम सुशीला देवी आदि दर्ज हुआ। वाद में विपक्षीगणों/आवंटियों को नोटिस जारी किये गये। आवंटियों द्वारा वाद में अपनी आपत्ति दिनांक 17.05.2004, 02.02.2005 एवं 22.08.2005 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसमें उल्लेख किया गया कि वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद योजित किया गया है। विपक्षीगणों/आवंटियों को पट्टा आवंटित करते समय यह नहीं बताया गया कि लगान अदा किया जाना है तथा विपक्षीगणों से कभी भी लगान की मांग की गयी है तो उनके द्वारा कभी भी लगान देने में चूक नहीं की गयी है। आवंटित पट्टे में यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि उन्हें आसामी पट्टा दिया गया है और ना ही कोई समयावधि ही अंकित की गयी है। कुछ आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि पर आवास का निर्माण भी किया गया है। आवंटियों द्वारा वाद को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अपर कलेक्टर, (प्रशासन) देहरादून द्वारा पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात अपने निर्णयादेश दिनांक 08–11–2010 से तहसीलदार, देहरादून की आख्या दिनांक 14.11.2003 स्वीकार कर सभी पट्टे निरस्त कर विवादित भूमि को ग्रामसभा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी योजित की गयी है।

.....2

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सविस्तार सुना। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के मुख्य बिन्दु निगरानीकर्तागण के पक्ष में दिनांक 06.07.1997 को असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में भूमि का आवंटन होना, आवंटन की इस प्रक्रिया के अनुसार निगरानीकर्तागण को राजस्व अभिलेखों में असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित किया जाना, अवर न्यायालय द्वारा धारा–198 (4) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत यथेष्ठ प्रश्नगत आवंटन का अनियमित होने संबंधी कोई निष्कर्ष न अंकित किया जाना, धारा–132 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम से आच्छादित भूमि का आवंटन धारा–197 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत न हो सकना एवं अपर कलेक्टर को वर्तमान प्रकरण में क्षेत्राधिकार प्राप्त न होना है। विद्वान अधिवक्ता ने निगरानीकर्तागण को किया गया भूमि आवंटन संबंधी भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी अभिलेख की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि आसामी की बेदखली धारा–202 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत ही हो सकती है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने अपने तर्को में इन तथ्यों पर बल दिया है कि निगरानीकर्ता को विवादित भूमि पर आसामी के तौर पर धारा–197 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत धारा–132 से आच्छादित भूमि पर प्रवेशित किया गया है, निगरानीकर्तागण ने आसामी के रूप में विवादित भूमि पर उनके प्रवेश को चुनौती नहीं दी है जबकि भूमि प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव आसामी के रूप में प्रवेशित किया जाने के सम्बन्ध में है, विवादित प्रकरण में अपर कलेक्टर को कलेक्टर के समान ही क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

मैंने अभिलेखों एवं संगत विधियों व न्यायिक दृष्टान्तों का सम्यक अनुशीलन किया। सर्वप्रथम बिन्दु यह है कि क्या अपर कलेक्टर को प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम 1901 की धारा–14(क) का प्राविधान अवलोकनीय है जिसके अधीन अपर कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है एवं उसके द्वारा कलेक्टर के ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सकता है जैसा कि कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाय। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त वह जिले के कलेक्टर भाँति ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस सम्बन्ध में यह सर्वविदित है कि अपर कलेक्टर की तैनाती के उपरान्त कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर सहित विभिन्न अधिकारियों के मध्य कार्य बंटवारा किया जाता है तथा ऐसे कार्य बंटवारे के आदेश के उपरान्त ही अपर कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अपने प्रशासनिक एवं वैधानिक अधिकारों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। अतः यह अवधारित किया जाना न्यायोचित है कि अपर कलेक्टर, देहरादून ने इस निगरानी में अन्तर्गस्त कार्यवाही धारा–198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अधीन सम्पादित की गयी कार्यवाही कलेक्टर के एतदसंबंधी कार्य बंटवारा आदेश के उपरान्त ही की गयी होगी। कलेक्टर द्वारा किया जाने वाले कार्य बंटवारा एक सामान्य प्रक्रिया है। तदनुसार अपर कलेक्टर को संगत धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त था। इस संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के विचारण का अवसर इसलिये नहीं रह जाता है कि वैधानिक स्थिति अति स्पष्ट है। वैसे भी क्षेत्राधिकार सम्बन्धी बिन्दु को प्रथम अवसर पर सम्बन्धित न्यायालय/अधिकारी के समक्ष उठाया जाना चाहिये था जो कि इस प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा नहीं

.....3

उठाया गया। क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरण प्रथम अवसर पर उठाये जाने पर इस बिन्दु का संज्ञान का लेकर इसका निस्तारण प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में किया जाना चाहिये ताकि वर्षो तक जारी न्यायिक प्रक्रिया के उपरान्त इस आधार पर की गयी न्यायिक कार्यवाही प्रभाव शून्य अथवा नास्ति सिद्ध न हो।

मेरा ध्यान विद्वान अपर कलेक्टर द्वारा धारा–198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 की ओर आकृष्ट होता है। विद्वान अपर कलेक्टर ने अपने विस्तृत निर्णय में उभय पक्षों के अभिवचनों, तर्को, साक्ष्यों आदि का उल्लेख करते हुये लगभग एक व डेढ़ पंक्ति मात्र में यह निष्कर्ष अंकित किया है कि "आवंटियों को आसामी पट्टे दिये गये थे जिनकी अवधि केवल 05 वर्ष नियत है नियत अवधि बाद आसामी पट्टा स्वतः ही समाप्त हो जाता है।" अर्थात विद्वान अपर कलेक्टर ने अभिलेखीय, मौखिक साक्ष्य व वैधानिक स्थिति का परीक्षण व विवेचन बिल्कुल भी नहीं किया है। एक घिसा–पिटा न्यायिक सिद्धान्त कि " न्याय किया ही नहीं जाना चाहिये अपितु न्याय किया गया दिखाई देना चाहिये" के अनुसार विद्वान अपर कलेक्टर को अपने निष्कर्ष के आधार स्पष्ट रूप से अंकित करने चाहिये थे, जो कि उनके द्वारा नहीं किया है। तदनुसार आक्षेपित आदेश एक सुव्यक्त (Speaking) आदेश नहीं है।

इस निगरानी में अन्तर्गस्त प्रकरण से सबंधित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामसभा के प्रस्ताव पर निगरानीकर्ताकण को वर्ष 1999 में अन्तर्निहित भूमि आवंटित की गयी थी। निगरानीकर्तागण का कथन है कि उक्त भू–आवंटन उन्हं असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में किया गया था जिसके अनुसार ही खतौनी में उनके नामों की प्रविष्टि असंकमणीय भूमिधर के रूप में हुई जबकि राज्य सरकार की ओर से यह अभिवचन एवं तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि निगरानीकर्तागण प्रकरण में अन्तर्निहित भूमि के आसामी है, क्योंकि उन्हें धारा–197 के अन्तर्गत धारा–132 से आच्छादित भूमि पर प्रवेशित किया गया। इस सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, देहरादून का आदेश दिनांक 26.12.1999 अवलोकनीय है जिसके अनुसार निगरानीकर्ता गण को धारा–197 के अन्तर्गत आसामी पट्टा वर्ष दर वर्ष लगान अदा करने पर स्वीकृत किया गया है। तदनुसार प्रथमदृष्ट्या निगरानीकर्तागण का यह कथन कि उन्हें भूमि आवंटन असंकमणीय भूमिधर के रूप में हुआ था निर्मूल सिद्ध होता है। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क कि धारा 132 से आच्छादित भूमि का धारा 197 के अन्तर्गत आवंटन आसामियों के रूप में निगरानीकर्तागण को नहीं हो सकता है से मैं सहमत होने में असमर्थ हूँ क्योंकि धारा–133 (ग) की व्यवस्था सुस्पष्ट है जिसके अन्तर्गत भूमि प्रबन्ध समिति धारा 132 से आच्छादित भूमि पर किसी व्यक्ति को आसामी के रूप में प्रवेशित कर सकती है। तदनुसार प्रथमदृष्ट्या यह भी प्रमाणित होता है कि भूमि आवंटन के पश्चात निगरानीकर्तागण के नाम से खतौनी में प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण हुई है चूंकि आवंटन संबंधी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का आदेश दुविधा एवं संशय रहित एवं अति स्पष्ट हैं।

परन्तु प्रश्न यह भी है कि निगरानीकर्तागण के अन्तर्ग्रस्त भूमि में आसामी के रूप में प्रवेशित होने की स्थिति में क्या उनके विरूद्ध धारा–198(4) के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है। विधिक आधार अत्यन्त स्पष्ट हैं। आसामी के अधिकारों का समापन नियम 176(क)(2) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली के अन्तर्गत उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा ही की जा सकती है। अतः धारा–198(4) की कार्यवाही अनियमित है। विद्वान अपर कलेक्टर को चाहिये था कि निगरानीकर्तागण के अन्तर्ग्रस्त भूमि के आसामी होने के आधार पर वे प्रकरण को उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को सन्दर्भित करते जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है। तदनुसार आक्षेपित आदेश स्थिर रहे योग्य

.....4

एवं पोषणीय नहीं है। आसामी पट्टों का समापन उपर्युक्त भांति होने के उपरान्त आसामियों की बेदखली धारा–202 के अन्तर्गत ग्रामसभा अथवा भूधारक (वर्तमान प्रकरण में राज्य सरकार) के वाद पर ही हो सकती है। तदनुसार प्रथमदृष्ट्या धारा–198(4) की कार्यवाही औचित्यहीन है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार आक्षेपित आदेश पोषणीय नहीं है।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकृत कर आक्षेपित आदेश को खण्डित किया जाता है परन्तु यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भूमि प्रबन्ध समिति अथवा राज्य सरकार, जो अन्तर्निहित भूमि की भूधारक है, अभिलेखीय स्थिति के शोधन, आसामियों के अधिकारों का समापन (उनको पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर देकर) एवं अन्ततः आसामियों की बेदखली हेतु विधिवत् कार्यवाही के लिये स्वतंत्र है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के तथ्यात्मक विनिश्चयन अनन्तिम है। सक्षम प्राधिकारी तथा अवर न्यायालय उचित प्रकरण अथवा न्यायिक कार्यवाही में अभिलेख एवं साक्ष्य सम्मत तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये स्वतंत्र होंगे।

31x113

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य, न्यायिक।

आज दिनांक 03.10.2013 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

31x113

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य, न्यायिक।